भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2863
दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

कामकाजी माता-पिता के बच्चों के लिए बाल देखरेख सुविधाएं

2863. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कामकाजी माता-पिता के बच्चों के लिए, विशेषकर शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में, किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बाल देखरेख सुविधाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बाल देखरेख अवसंरचना नीति बनाने का विचार रखती है;

(ख) क्या सरकार सरकारी-निजी साझेदारी, नियोक्ताओं की भागीदारी और मौजूदा सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण करके ऐसी बाल देखरेख सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रस्तावित कार्यान्वयन रूपरेख और समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग) : मंत्रालय ने दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पालना योजना तहत आंगनवाड़ी सह क्रेच शुरू की, ताकि सभी माताओं की रोजगार स्थिति की परवाह किए बिना उनके बच्चों (आयु 06 महीने – 06 वर्ष) को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में डे-केयर क्रेच सुविधाएँ प्रदान की जा सकें और साथ ही बच्चों के पोषण संबंधी सहायता, स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, वृद्धि की निगरानी, टीकाकरण, शिक्षा इत्यादि भी सुनिश्चित की जा सकें। मिशन शक्ति के सामर्थ्य वर्टिकल के अंतर्गत पालना घटक एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे केंद्र तथा राज्य सरकारों एवं विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 के वित्तपोषण अनुपात के साथ कार्यान्वित किया जाता है; जबकि पूर्वोत्तर एवं विशेष

श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है। विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधि, व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के एकल नोडल एजेंसी (एसएनए)/एसएनए-स्पर्श तंत्र के माध्यम से जारी की जाती है। वर्तमान में, देश भर में 4,172 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच कार्यशील हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है, जो दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 67 में 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों के लिए क्रेच सुविधाओं का प्रावधान है। इस संहिता के तहत, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के संबंध में प्रवर्तन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन, केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में मातृत्व लाभ संबंधी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नामित प्रवर्तन प्राधिकरण है।
